<u>न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0)</u>
<u>(पीठासीन अधिकारी–राजेन्द्र प्रधान)</u>

सत्र प्रकरण क्रमांक– 353 / 2018
पुलिस थाना– कुआकोण्डा
अपराध क्रमांक– 09 / 2018
संस्थित दिनांक– 05 / 12 / 2018
CGDA-01000757-2018

छ0ग0राज्य द्वारा,
आरक्षी केन्द्र– कुआकोण्डा,
जिला– दंतेवाड़ा (छ0ग0) ....**अभियोजन**

<u>विरूद्ध</u>

डोर्रा उर्फ हुर्रा कुंजाम पिता स्व. पण्डरा कुंजाम,
उम्र–40 वर्ष, निवासी– ग्राम महराकरका पटेलपारा,
थाना– कुआकोण्डा, जिला– दंतेवाड़ा (छ.ग.) ....**अभियुक्त**

न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दंतेवाड़ा द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–236 / 2018 शासन विरूद्ध डोर्रा उर्फ हुर्रा कुंजाम में पारित उपार्पण आदेश दिनांक–29.11.2018 से उद्भूत सत्र प्रकरण।

राज्य की ओर से श्री मनीष कुर्मी अतिरिक्त लोक अभियोजक।
अभियुक्त की ओर से श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>
<u>(आज दिनांक– 11 / 11 / 2019 को घोषित)</u>

01. अभियुक्त डोर्रा उर्फ हुर्रा कुंजाम के विरूद्ध धारा–302 भा0द0सं0 एवं धारा 25, 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप है कि, दिनांक–31.03.2018 को लगभग 15.30 बजे, स्थान– कोयकीपारा महराकरका के बीच जंगल मृतक भीमा कुंजाम का खेत सल्फी झाड़ के नीचे, थाना कुआकोण्डा, जिला दंतेवाड़ा में भीमा कुंजाम को टंगिया से मारकर, उसकी

मृत्यु कारित कर हत्या किया गया एवं अवैध रूप से अपने आधिपत्य में घातक आयुध को रखकर भीमा कुंजाम की हत्या करने में उसका प्रयोग किया गया।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि, दिनांक 31.03.2018 को समय लगभग 04.00 बजे प्रार्थिया श्रीमती गंगी कुंजाम को उसके ही गांव का हूंगा कुंजाम उसके पास आकर बताया कि वह और भीमा कुंजाम कोईकीपारा के जंगल खेत में सल्फी झाड़ से सल्फी उतारने गये थे, तभी करीबन 03.30 बजे, जंगल की ओर से अज्ञात नक्सली सादी वेशभूषा में बंडा एवं टंगिया लेकर सल्फी झाड़ के पास आये, उस समय भीमा कुंजाम सल्फी झाड़ के नीचे बैठा था और हूंगा कुंजाम सल्फी उतारने झाड़ में चढ़ा हुआ था, तभी नक्सलियों में से एक नक्सली ने अपने पास रखे टंगिया से भीमा को मारने लगा और मार–मार कर उसकी हत्या कर दी और हूंगा कुजाम को नीचे उतरने बोलकर धमकी दिये की जो भी पुलिस की मुखबिरी करेगा उसका ऐसा ही हाल होगा और सभी नक्सली जंगल की ओर भाग गये। प्रार्थिया श्रीमती गंगी कुंजाम की सूचना पर थाना कुआकोण्डा में अज्ञात नक्सलियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया एवं विवेचना के क्रम में मृतक की मृत्यु के संबधं में मर्ग इंटीमेशन लेखबद्ध किया गया, शव का नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, मृतक के शव का परीक्षण कराया जाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया गया, घटना स्थल का नजरी नक्शा पटवारी से तैयार कराया गया, जप्ती पत्रक अनुसार वस्तुओ की जप्ती की गयी, जप्तुशुदा वस्तुओं को क्यूरी कराया जाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया गया, जप्तशुदा वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण कराया जाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया गया, अभियुक्त डोर्रा उर्फ हुर्रा कुंजाम को गिरफ्तारी पत्रक अनुसार गिरफ्तार किया गया एवं साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया जाकर विवेचना की कार्यवाही पूर्ण की गयी।

03. विवेचना पूर्ण करने के पश्चात् अभियुक्त डोर्रा उर्फ हुर्रा कुंजाम के विरूद्ध अभियोग पत्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा–302 एवं धारा 25, 27

आयुध अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दंतेवाड़ा के न्यायालय में पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दंतेवाड़ा द्वारा दिनांक 29.11.2018 को प्रकरण इस न्यायालय में उपार्पित किया गया, जिसके उपरांत अभियुक्त को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त डोर्रा उर्फ हुर्रा कुंजाम के विरूद्ध मेरे पूर्ववर्ती अधिकारी द्वारा आरोपी पूर्व तर्क सुना जाकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा–302 एवं धारा 25, 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत, आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध करना अस्वीकार किया गया। अभियुक्त का अभिवाक् लेखबद्ध किया गया तत्पश्चात् विचारण प्रारंभ किया गया।

05. अभियोजन द्वारा आरोपित अपराध को प्रमाणित करने के लिए 10 गवाहों को पेश किया गया है, जिनके कथन में आरोपी के विरूद्ध प्रकट तथ्यों पर से अभियुक्त डोर्रा उर्फ हुर्रा कुंजाम को धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत परीक्षण कराने पर उसने अधिकांश प्रश्नों का उत्तर मालूम नहीं, का दिया है एवं स्वयं को निर्दोष होना तथा प्रतिरक्षा में स्वयं को झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया गया है। अभियुक्त की ओर से किसी बचाव साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया जाना व्यक्त करने पर अंतिम तर्क श्रवण किया जाकर, निर्णय पारित किया जा रहा है।

06. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि,

01. ''क्या मृतक भीमा कुंजाम की मृत्यु हुई है और क्या वह हत्यात्मक प्रकृति थी?''

02. ''क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक–31.03.2018 को लगभग 15.30 बजे, स्थान– कोयकीपारा महराकरका के बीच जंगल मृतक भीमा कुंजाम का खेत सल्फी झाड़ के नीचे, थाना कुआकोण्डा, जिला दंतेवाड़ा में भीमा कुंजाम को टंगिया से मारकर, उसकी मृत्यु कारित कर हत्या किया गया?''

03. ''क्या अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से अपने आधिपत्य में घातक आयुध को रखा गया?''

04. ''क्या अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से अपने आधिपत्य में घातक आयुध को रखकर भीमा कुंजाम की हत्या करने में उसका प्रयोग किया गया?''

::::: निष्कर्ष के आधार :::::

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनर्रावृत्ति को रोकने की दृष्टिकोण से सभी विचारणीय प्रश्नों का निष्कर्ष एक साथ दिया जा रहा है।

07. आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन की ओर से साक्षी क्रमांक 01 के रूप में कुंजामी गंगी पति भीमा निवासी ग्राम माहराकरका का कथन, साक्षी क्रमांक 02 के रूप में हूंगा कुंजाम पिता हुर्रा निवासी ग्राम माहरापारा का कथन, साक्षी क्रमांक 03 के रूप में सोमडू कुंजाम पिता कामा निवासी ग्राम माहरापारा का कथन, साक्षी क्रमांक 04 के रूप में कुंजामी भीमा पिता कुंजामी बोड्डा निवासी ग्राम माहराकरका केसापारा का कथन, साक्षी क्रमांक 05 के रूप में डॉ. विजय कर्मा मेडिकल ऑफिसर सी.एच.सी. कुआकोण्डा का कथन, साक्षी क्रमांक 06 के रूप में सुश्री पुष्पा साहू पटवारी हल्का पटवारी नंबर 09 मोखपाल का कथन, साक्षी क्रमांक 07 के रूप में हुर्राराम कवासी पिता सोमडू निवासी ग्राम टेटम कटेकल्याण का कथन, साक्षी क्रमांक 08 के रूप में लखेन्द्र कुंजाम पिता लिंगा निवासी ग्राम बडेगुडरा का कथन, साक्षी क्रमांक 09 के रूप में अखिलानंद साहू सहायक उप निरीक्षक कुआकोण्डा का कथन एवं साक्षी क्रमांक 10 के रूप में निरीक्षक डी.के. बरवा वर्तमान थाना किरंदुल का कथन कराया गया है।

08. आरोपी डोर्रा उर्फ हुर्रा कुंजाम के विरूद्ध आरोप है कि, उसने दिनांक–31.03.2018 को लगभग 15.30 बजे, स्थान– कोयकीपारा महराकरका के बीच जंगल मृतक भीमा कुंजाम का खेत सल्फी झाड़ के नीचे, थाना कुआकोण्डा, जिला दंतेवाड़ा में भीमा कुंजाम को टंगिया से मारकर, उसकी मृत्यु कारित कर हत्या किया गया है।

09. साक्षी कमांक 02 हूंगा कुंजाम पिता हुर्रा निवासी ग्राम माहरापारा के अनुसार वह आरोपी हुर्रा कुंजाम को जानता है, क्योंकि वह उसके गांव का रहने वाला है। वह मृतक भीमा कुंजाम को भी जानता है उसकी मृत्यु पिछले वर्ष फागुन माह में हो गया था। वह घटना दिनांक को भीमा कुंजाम के साथ सल्फी उतारने कोयकीपारा के जंगल में गया था और दोपहर के 01.00 बजे के लगभग वह सल्फी उतारने के लिये पेड के उपर चढा हुआ था और भीमा कुंजाम सल्फी पेड के नीचे था। इस साक्षी का कहना है कि घटना दिनांक को ही 03–04 बजे के लगभग घटना स्थल पर चार लोग मुंह में कपडा बांधकर आये थे जिनके हाथ में टंगिया व बंडा रखे हुये थे, उन लोगो भीमा कुंजाम को लाठी, टंगिया से मारकर उसकी हत्या कर दिया था और उसके पेड से नीचे उतरने को बोले थे और उसके नीचे उतरने पर उससे बोले की जो आदमी उन लोगो का मुखबिरी करेगा उसका यही हाल होगा, कहकर उसे घटना स्थल से जाने के लिये बोले थे। इसका कहना है कि उसने घटना स्थल से वापस जाकर घटना के संबंध में भीमा कुंजाम की पत्नी गंगी कुंजाम को घटना के विषय में सूचित किया था। इस साक्षी का यह भी कहना है कि भीमा कुंजाम को किन लोगो ने मारा है वह उन्हें नही जानता है। उसे नक्सलियो ने किसी प्रकार का कोई कागज नहीं दिया था और घटना के विषय में उसे इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को जब वह सल्फी पेड से नीचे उतरा था तो देखा था कि सुक्कू बट्टी निवासी माहराकरका अपने टंगिया के मुंडी से भीमा कुंजाम को मार रहा था और उसी समय डोरा उर्फ हुर्रा, देवा मुचाकी ग्राम माहराकरका घटना स्थल पर ही बंडा पकडकर खडे थे। इस बात से भी इंकार किया कि पास के महुआ पेड में अन्य नक्सली लोग पोस्टर चिपका रहे थे और नक्सलियो ने उसे निकाली हुई सल्फी को मृतक की पत्नी गंगी को दे देना बोले थे और शाम तक किसी को यह बात नहीं बताना बोले थे। इस बात से भी इंकार किया कि वापसी में वह

डरा हुआ था और भीमा के घर पर ही सोमडू मिला था तब वे लोग लायी गयी सल्फी को पीये थे और घटना के विषय में गंगी को बताये थे। इस साक्षी ने पुलिस बयान प्र.पी.–01 का अंश अ से अ ''सल्फी झाड से उतरने ....जानकारी दिया'' का बयान पुलिस को देने से इंकार किया। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी उनके गांव का है, परंतु इस बात से इंकार किया कि वह नक्सलियो के भय से आरोपी को बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा है। अभियोजन कहानी एवं इस साक्षी के न्यायालयीन कथनानुसार यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, इस साक्षी द्वारा घटना होते हुए देखने का कथन किया है, परंतु मुख्य परीक्षण की कंडिका 06 में स्पष्ट कथन किया है कि भीमा कुंजाम को किन लोगों ने मारा है वह उन्हें नहीं जानता है तथा पक्षद्रोही घोषित किये जाने के उपरांत भी आरोपी द्वारा घटना कारित किये जाने के बिंदु पर अभियोजन का समर्थन नहीं किया है एवं पुलिस बयान प्रदर्श पी 01 देने से इंकार किया है। इस मौके के साक्षी द्वारा अभियुक्त डोर्रा उर्फ हुर्रा कुंजाम के विरूद्ध भीमा कुंजाम को मारने बाबत् कोई कथन नहीं किया है एवं इस साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है।

10. साक्षी कमांक 01 कुंजामी गंगी पति भीमा निवासी ग्राम माहराकरका के अनुसार वह अरोपी हुर्रा कुंजाम को जानती है, क्योंकि वह उसके गांव का है तथा मृतक भीमा कुंजाम उसका पति था उसकी मृत्यु हुये लगभग एक साल से ज्यादा हो गया है। पिछले वर्ष फागुन माह मे उसका पति रोज की तरह सल्फी उतारने के लिये खेत की ओर गया था। घटना दिनांक को शाम के 4–5 बजे के लगभग हुंगा कुंजाम ने उसे घर आकर बताया था कि उसका पति कोयकीपारा जंगल में सल्फी उतार रहा था, तभी जंगल में चार नक्सली लोग टंगिया व बंडा लेकर आये थे, घटना के समय भीमा कुंजाम सल्फी झाड़ के नीचे था और वह उपर था, उसी समय नक्सली लोग आकर भीमा कुंजाम को बंडा व टंगिया से मारकर उसकी हत्या कर दिये थे, उसे भी सल्फी झाड से नीचे उतरने को बोले थे और जब वह नीचे उतरा था तब उसे नक्सलियो ने बोला था कि जो मुखबिरी करेगा उसका

ऐसा ही हाल होगा, उसके बाद उसे नक्सलियो ने जाने के लिये बोला था और वे लोग जंगल की ओर चले गये थे, तब वह हुंगा कुंजाम की बात को गांव वालो को बतायी थी और गांव वालो के साथ घटना स्थल पर गयी थी जहां पर उसके पति का शव चित हालत में पडा था उसके सिर, कान, छाती एवं पैर में मारने का निशान था और खून बह रहा था, जिसे गांव वालो के सहयोग से वह उठाकर घर लायी थी। इस साक्षी का कहना है कि घटना की संबंध में थाना कुंआकोंडा में जाकर उसने मर्ग सूचना दी थी, तब पुलिस वाले उनके गांव आकर पंचो के समक्ष उसके पति के शव का पंचनामा बनाया था और उसके पति के शव को, शव परीक्षण उपरांत दाह संस्कार करने हेतु उसे दिया गया था। पुलिस वालो ने घटना के संबंध में उसके बताये अनुसार अज्ञात नक्सलियो के विरूद्व रिपोर्ट दर्ज की थी और उसके पेश करने पर लाल स्याही से लिखा हुआ नक्सली पर्चा भी उन लोगो ने जप्त किया था। यह साक्षी मौके की गवाह नहीं है, इस साक्षी ने घटना होते हुए नहीं देखा है बल्कि घटना के बारे में उसे हूंगा कुंजाम साक्षी क्रमांक 02 ने बताया था, जिसके द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में भीमा कुंजाम को मारने वालों को नहीं जानने का कथन किया है। इस साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है।

11. साक्षी क्रमांक 03 सोमडू कुंजाम पिता कामा निवासी ग्राम माहरापारा के अनुसार वह आरोपी हुर्रा कुंजाम को जानता है क्योंकि वह उसके गांव का रहने वाला है। मृतक भीमा कुंजाम उसका काका था उसकी मृत्यु हुये लगभग एक साल हो गया है, वह हूंगा कुंजाम को भी जानता है। इस साक्षी का कहना है कि भीमा कुंजाम की हत्या किसने की है वह नहीं जानता है, उसे हूंगा कुंजाम ने कुछ नहीं बताया था। उसे गांव वालो से पता चला था कि, घटना दिनांक को भीमा कुंजाम सल्फी लेने जंगल गया था तब कुछ अज्ञात लोगो के द्वारा धारदार हथियार से भीमा कुंजाम की हत्या कर दिये है, तब वह भीमा कुंजाम को देखने के लिये उसके घर गया था और देखा कि वह मृत हालत में है और उसके शरीर के सिर, छाती व पैर पर

जगह जगह चोट के निशान थे और वहां से खून बह रहा था। जिसे जंगल से उठाकर घर लाये थे। इसके अलावा उसे घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में इस बात से इंकार किया कि भीमा कुंजाम के हत्या के संबंध में उसे हुंगा कुंजाम ने बताया था कि वह सल्फी उतारने उसके साथ जंगल गया था, तभी दिन के तीन चार बजे के बीच तीन चार लोग सादे वर्दी में हाथ में बंडा व टंगिया लिये हुये सल्फी पेड के पास आये थे, उस समय भीमा कुंजाम पेड के नीचे बैठा हुआ था जिसे सुक्कू बट्टी निवासी माहराकरका आकर टंगिया के उल्टे भाग से भीमा कुंजाम को मारने लगा था। इस बात से भी इंकार किया कि तब भीमा कुंजाम चिल्लाते हुये जितना पैसा लेना है ले लो उसे मत मारो कह रहा था। इस बात से भी इंकार किया कि उसी समय डोरा उर्फ हुर्रा, देवा मुचाकी, बुधराम माहराकरका के भी घटना स्थल पर बंडा पकडकर खडे हुये थे और उनके अन्य साथी महुआ झाड में नक्सली पोस्टर चिपका रहे थे और उसे पेड से उतारकर उन लोगो ने बोला था कि मुखबिरी जो भी करेगा उसका ऐसा ही हाल होगा, जो सल्फी उसके पास है उसे भीमा की पत्नी को ले जाकर दे देना और यह बता शाम तक किसी को मत बताना। इस बात से भी इंकार किया कि घटना की जानकारी होने के बाद वहं, हूंगा और गांव का अन्य व्यक्ति भीमा जो सल्फी लाये थे उक्त सल्फी को वे लोग पीये थे। इस बात से भी इंकार किया कि वे लोग भीमा कुंजाम की पत्नी एवं गांव वालो को घटना की सूचना दिये थे। इस साक्षी ने पुलिस बयान प्र.पी.–02 का अंश अ से अ ''हूंगा कुंजाम तुम्मा में.................गांव वालो को बताये'' का बयान पुलिस को देने से इंकार किया। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी उनके गांव का है परंतु इस बात से इंकार किया कि वह नक्सलियो के भय से आरोपी को बचाने के लिये वह असत्य कथन कर रहा है। यह साक्षी भी मौके का साक्षी नहीं है और इस साक्षी द्वारा भी अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई कथन नहीं किया है। इस साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है।

12. साक्षी कमांक 04 कुंजामी भीमा पिता कुंजामी बोड्डा के अनुसार वह आरोपी हुर्रा कुंजाम को जानता है क्योंकि वह उसके गांव का रहने वाला है। वह मृतक भीमा कुंजाम को भी जानता हूं जो उसका काका लगता है जिसकी मृत्यु हुये लगभग एक साल हो गया है। इस साक्षी का कहना है कि भीमा कुंजाम की हत्या जंगल में किसने की है वह नहीं जानता है। उसे गांव वालो से पता चला था कि घटना दिनांक को भीमा कुंजाम सल्फी लेने जंगल गया था तब कुछ अज्ञात लोगो के द्वारा धारदार हथियार से भीमा कुंजाम की हत्या कर दिये है, तब वह भीमा कुंजाम को देखने के लिये उसके घर गया था और उसे मृत हालत में देखा था उसके शरीर के सिर, छाती व पैर पर जगह—जगह चोट के निशान थे और वहां से खून बह रहा था और उसे जंगल से उठाकर घर लाये थे। इसके अलावा उसे घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में इस बात से इंकार किया कि भीमा कुंजाम के हत्या के संबंध में उसे हुंगा कुंजाम ने बताया था कि वह सल्फी उतारने उसके साथ जंगल गया था। इस बात से भी इंकार किया कि दिन के तीन चार बजे के बीच तीन चार लोग सादे वर्दी में हाथ में बंडा व टंगिया लिये हुये सल्फी पेड के पास आये थे, उस समय भीमा कुंजाम पेड के नीचे बैठा हुआ था जिसे आकर सुक्कू बटटी निवासी माहराकरका ने टंगिया के उल्टे भाग से मारने लगा था, तब भीमा कुंजाम चिल्लाते हुये जितना पैसा लेना है ले लो उसे मत मारो कह रहा था। इस बात से भी इंकार किया कि उसी समय डोरा उर्फ हुर्रा, देवा मुचाकी, बुधराम माहराकरका के घटना स्थल पर बंडा पकडकर खडे हुये थे और उनके अन्य साथी महुआ झाड में नक्सली पोस्टर चिपका रहे थे ओर उसे पेड से उतारकर उन लोगो ने बोला था कि मुखबिरी जो भी करेगा उसका ऐसा ही हाल होगा, जो सल्फी उसके पास है उसे भीमा की पत्नी को ले जाकर दे देना और यह बता शाम तक किसी को मत बताना। इस बात से भी इंकार किया कि उस घटना की जानकारी होने के बाद वह, हूंगा और गांव का अन्य व्यक्ति भीमा जो सल्फी लाये थे उक्त

सल्फी को वे लोग पीये थे और फिर उन लोगों ने भीमा कुंजाम की पत्नी एवं गांव वालो को घटना की सूचना दिये थे। इस साक्षी ने पुलिस बयान प्र.पी.–03 का अंश अ से अ ''हूंगा कुंजाम तुम्मा में.................गांव वालो को बताये'' का बयान पुलिस को देने से इंकार किया है। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी उनके गांव का है परंतु इस बात से इंकार किया कि वह नक्सलियो के भय से आरोपी को बचाने के लिये वह असत्य कथन कर रहा है। यह साक्षी भी मौके का साक्षी नहीं है और इस साक्षी द्वारा भी अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई कथन नहीं किया है। इस साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है।

13. साक्षी क्रमांक 09 अखिलानंद साहू सहायक उप निरीक्षक थाना कुआकोण्डा के अनुसार वह दिनांक 29.08.2018 को थाना कुआकोण्डा में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसके द्वारा गवाह लखेन्द्र कुंजाम एवं हुर्रा कुंजाम कवासी के समक्ष डोर्रा उर्फ हुर्रा कुंजाम का मेमारण्डम बयान प्रदर्श पी 09 लेखबद्ध किया था। इस साक्षी का कहना है कि उसने लखेन्द्र एवं हर्रा राम कवासी के समक्ष आरोपी हुर्रा कुंजाम को गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी 05 के अनुसार किया था और गिरफ्तारी की सूचना राजेश मंडावी को प्रदर्श पी 12 के अनुसार दिया था। इस साक्षी का कहना है कि उसने लखेन्द्र कुंजाम एवं हुर्रा राम कवासी का कथन लेखबद्ध किया था। इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में इस बात से इंकार किया कि उसने आरोपी का मेमोरण्डम कथन गवाहों के समक्ष उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। इस बात से भी इंकार किया है कि उसने गवाह लखेन्द्र एवं हुर्रा राम कवासी को मेमोरण्डम के साक्षी होने के लिए नोटिस जारी किया था। इस बात से भी इंकार किया कि उसने गवाहों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था और इस बात से भी इंकार किया कि उसने लखेन्द्र कुंजाम एवं हुर्रा राम कवासी का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध नहीं किया था।

14. मेमोरण्डम कथन के स्वतंत्र साक्षी, साक्षी क्रमांक 07 हुर्राराम कवासी पिता सोमडू निवासी ग्राम टेटम के अनुसार वह आरोपी डोरा हुर्रा को

नहीं जानता है और उसे उसने देखा भी नहीं है। वह भीमा कुंजाम को भी नहीं जानता है। इस साक्षी का कहना है कि भीमा कुंजाम के विरूद्व क्या घटना हुआ था वह नहीं जानता है। इस साक्षी का कहना है कि आरोपी डोरा हुर्रा से उसके समक्ष पुलिस ने कोई भी मेमोरेण्डम बयान नहीं लिया है, इस साक्षी को मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.–09 के गवाहो को दिखाये जाने पर दोनो ही हस्ताक्षर जो अंग्रेजी में है पर उसके हस्ताक्षर नहीं होना व्यक्त किया है। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कर पूछे गये प्रश्नों के उत्त्र में इस साक्षी ने पुलिस बयान प्र.पी.–10 का अंश अ से अ ''कक्षा 12वी तक................मेरा हस्ताक्षर है'' का बयान पुलिस को देने से इंकार किया। इस बात से भी इंकार किया कि उसके समक्ष आरोपी ने प्र.पी.–09 का मेमोरेण्डम कथन दिया था और इस बात से भी इंकार किया कि वह आरोपी एवं मृतक को पहचानता है इसलिए असत्य कथन कर रहा है। इस साक्षी द्वारा अभियुक्त के मेमोरण्डम के बिंदु पर अभियोजन का समथर्न नहीं किया है। इस साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है।

15. मेमोरण्डम बयान के दूसरे स्वतंत्र साक्षी, साक्षी कमांक 08 लखेन्द्र कुंजाम पिता लिंगा निवासी ग्राम बडेगुडरा के अनुसार वह आरोपी डोरा उर्फ हुर्रा कुंजाम को जानता है। वह मृतक भीमा कुंजाम को नहीं जानता है, वह आवेदिका श्रीमती गंगी कुंजाम को भी नहीं जानता है। इस साक्षी का कहना है कि वह भीमा कुंजाम के साथ हुये घटना को नहीं जानता है तथा भीमा कुंजाम को किसने मारा वह नहीं जानता है। इस साक्षी का कहना है कि उसके समक्ष डोर्रा उर्फ हुर्रा कुंजाम ने प्र.पी.–09 का मेमोरेण्डम बयान नहीं दिया था। इस साक्षी को प्र.पी.–09 मेमोरेण्डम कथन के गवाह नंबर–01 के हस्ताक्षर अंग्रेजी में दिखाये जाने पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। इस साक्षी ने गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.–11 के अ से अ भाग पर भी अपना हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कर पूछे गये प्रश्नों के उत्त्र में इस बात से इंकार किया कि प्र.पी.–09 का मेमोरेण्डम कथन एवं प्र.पी.–11 पर उसके हस्ताक्षर

है। इस साक्षी ने पुलिस बयान प्र.पी.–12 का अंश अ से अ ''दिनांक 29.08. 2018...................यही मेरा कथन है'' का बयान पुलिस को देने से इंकार किया है और इस बात से भी इंकार किया कि वह आरोपी को बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा है। अतः मेमोरण्डम कथन के दोनों ही स्वंतत्र साक्षी, साक्षी क्रमांक 07 एवं 08 ने विवेचक के कथनानुसार अभियुक्त के मेमोरण्डम बयान की पुष्टि नहीं की है जिसके फलस्वरूप मेमोरण्डम कथन प्रमाणित नहीं पाये जाते तथा अभियोजन को इससे सहायता नहीं पहुंचती है।

16. साक्षी क्रमांक 10 निरीक्षक डी.के. बरवा थाना किरंदुल के अनुसार वह वर्ष 2017 से वर्ष 2018 तक थाना कुंआकोंडा में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 31.03.2018 को थाना कुंआकोंडा के अप.क्रं. –09/18 धारा–302 भा.द.वि. में श्रीमती गंगी कुंजाम के मौखिक सूचना पर प्रथम सूचना पत्र प्र.पी.–17 दर्ज किया था। उक्त दिनांक को ही उसने मर्ग एंटीमेशन प्र.पी.–18 तैयार किया था एवं दिनांक 01.04.2018 को धारा–175 द.प्र.सं. का नोटिस प्र.पी.–19 गवाहो को दिया था और उक्त दिनांक को ही उसने नक्शा पंचायनतनामा प्र.पी.–20 तैयार किया था एवं दिनांक 15.04.2018 को उसने घटना स्थल पर जाकर गवाहो के समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.–21 तैयार किया था। दिनांक 05.05.2018 को आरक्षक प्रदीप मिंज से गवाहो के समक्ष जप्ती पत्रक प्र.पी.–22 में उल्लेखित वस्तुओ को जप्त किया था एवं दिनांक 31.03.2018 को श्रीमती गंगी से गवाहो के समक्ष जप्ती पत्रक प्र.पी.–23 में उल्लेखित वस्तुओ को जप्त किया था और दिनांक 15.06.2018 को मृतक के पहने हुये कपडो को क्वेरी हेतु सीएचसी. कुंआकोंडा को प्रेषित किया था जिसका ज्ञापन प्र.पी.–24 है। दिनांक 01.04.2018 को उसने मृतक के शव परीक्षण हेतु सीएचसी. कुंआकोंडा एक ज्ञापन प्र.पी.–25 प्रेषित किया था। इस साक्षी का कहना है कि विवेचना के दौरान उसने प्रार्थिया श्रीमती गंगी कुंजाम, गवाह हुंगा कुंजाम, सोमडू कुंजाम, कुंजामी भीमा का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्व किया था। इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस बात से इंकार किया कि उसने मंर्ग एंटीमेशन एवं प्रथम सूचना पत्र प्रार्थिया के बताये अनुसार लेखबद्व न कर अपनी मर्जी से किया

है। इस बात से भी इंकार किया कि घटना स्थल का नजरी नक्शा घटना स्थल पर न जाकर थाने में ही तैयार किया था और उसने जप्ती पत्रक गवाहो के समक्ष तैयार नहीं किया था तथा उसने जप्तशुदा संपत्ति को मौके पर सीलबंद नहीं किया था। इस बात को स्वीकार किया कि उसने जप्ती पत्रक प्र.पी.–22 में नमूना सील नहीं लगाया है, परंतु स्वतः कथन किया है कि उसने जप्ती पत्रक प्र.पी.–23 में नमूना सील लगाया है। इस बात से इंकार किया कि प्रार्थिया श्रीमती गंगी कुंजाम, गवाह हुंगा कुंजाम, सोमडू कुंजाम, कुंजामी भीमा का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्व न कर अपनी मर्जी से लिखा है।

17. साक्षी क्रमांक 06 सुश्री पुष्पा साहू पटवारी हल्का नंबर 09 मोखपाल के अनुसार वह वर्ष 2011 से हल्का नंबर–09 मोखपाल में पटवारी के पद पर पदस्थ है। तहसीलदार कटेकल्याण के दिनांक 21.11.2018 के ज्ञापन के आधार पर उसे घटना स्थल कोयकीपारा माहराकरका के बीच घटना स्थल का नजरी नक्शा एवं पंचनामा तैयार करने हेतु आवेदन प्राप्त होने पर वह दिनांक 24.11.2018 को घटना स्थल माहराकरका गयी थी जहां पर पंचो के समक्ष उनके बताये अनुसार घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.–06 तैयार की थी, जिसमें उसने क्रं.–01 से क्रं.–04 तक उल्लेखित स्थल दिखाये है और विस्तृत विवरण दिया है। उसने पंचो के समक्ष पंचनामा प्र.पी.–07 तैयार की थी। पंचनामा एवं नजरी नक्शा तैयार कर उसने थाना कटेकल्याण को अप.क्र.–09/18 धारा–302 भा.द.वि. में संलन कर प्रेषित की थी जिसका ज्ञापन प्र.पी.–08 है। उसने प्र.पी.–06 में घटना स्थल को ''ए'' लाल स्याही से दर्शाया है। इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में कथन किया गया कि उसके द्वारा नजरी नक्शा कोयकीपारा जंगल घटना स्थल पर जाकर बनाया गया है और यह स्वीकार किया कि वह तहसीलदार के आदेशानुसार घटना स्थल का नजरी नक्शा बनायी है।

18. अवलोकनीय यह है कि मृतक भीमा कुंजाम का शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉ. विजय कर्मा का कथन साक्षी क्रमांक 05 के रूप में

कराया गया है। इस साक्षी के अनुसार वह वर्ष 2011 से सी.एच.सी. कुआकोण्डा में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ है। दिनांक 01.04.2018 को 11.55 बजे आरक्षक प्रदीप मिंज क्रं 343 थाना कुंआकोंडा द्वारा मृतक भीमा कुंजाम पिता पोदिया, उम्र–45 वर्ष, निवासी–माहराकरका थाना कुंआकोंडा जिला दंतेवाड़ा का शव उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था इसने मृतक का शव परीक्षण उपरांत निम्नानुसार स्थितियां पायी थी–

शव का बाह्य परीक्षण – मृतक के शरीर में निम्नलिखित चोटे पायी थी– 1. मृतक के सिर के बाये साईड में एक कुचला हुआ घांव था जिसका आकार 2X1.5 इंच था। 2. मृतक के सिर के बाये उपरी सिरे में एक कुचला हुआ घांव था जिसका आकार 2X1.5 इंच था। 3. एक कटा हुआ घांव बाये कान के कनपटी पर था जिसका आकार 3X1 इंच था। 4. एक कटा हुआ घांव सिर के बाये उपरी हिस्से में था जिसका आकार 2.5X2 इंच था। 5. एक कटा हुआ घांव बाये पैर के नीचले हिस्से में मौजूद था जिसका आकार 3X2 इंच था एवं बाये पैर के नीचे की हडडीयां टूटी हुई थी। 6. बाये पैर के नीचले हिस्से में सूजन था एवं हडडीयां टूटी थी। 7. एक कुचला हुआ घांव उसके अंडकोष में थी जिसका आकार 2.5X2 इंच था। 8. सीने के सामने की हडडी टूटी हुई थी। 9. पसली 01 से 08 तक टूटी हुई थी। 10. सिर के सामने की हडडी टूटी हुई थी।

शव का आंतरिक परीक्षण – दोनो फेफडे फटे हुये थे एवं रक्त स्त्राव हुआ था। मस्तिष्क के अंदर एक कुचला हुआ घांव था जिसका आकार 2X1.5 इंच था। शेष अंग सामान्य थे।

अभिमत– उसके मतानुसार मृतक की मृत्यु सिर में आयी चोट एवं अत्यधिक अंदरूनी रक्त स्त्राव एवं सदमे के कारण आयी थी, जो हत्यात्मक प्रकृति की थी, जो मेरे पी.एम. करने के 24 घंटे पूर्व की थी। उसके द्वारा दिया गया पी.एम. रिपोर्ट प्र.पी.–04 है। चिकित्सक साक्षी के कथन एवं प्रकरण में संलग्न शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 04 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि मृतक भीमा कुंजाम की मृत्यु हुई है मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की रही है। प्रकरण में

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी क्रमांक 01, 02, 03, 04 के कथनों से भी स्पष्ट है कि भीमा कुंजाम की मृत्यु हुई है। अतः यह स्पष्ट है कि भीमा कुंजाम की मृत्यु हुई है और हत्यात्मक प्रकृति की थी।

19. प्रकरण में अवलोकनीय यह है कि साक्षी क्रमांक 05 डॉ. विजय कर्मा के अनुसार दिनांक 15.06.2018 को कुंआकोंडा पुलिस ने मृतक भीमा कुंजाम के पहने हुये कपडे शर्ट एवं लुंगी को क्वेरी हेतु उसके समक्ष पेश किया गया था जिस पर उससे जानकारी मांगी गयी थी कि क्या कपडो में लगा धब्बा खून मानव रक्त है? एवं अन्य जानकारी से अवगत कराने हेतु प्रेषित किया था। उसके द्वारा उक्त कपडो में मानव रक्त होने के विषय में रासायनिक परीक्षण की सलाह दी गयी और उक्त जप्तशुदा वस्तुओ को थाना कुंआकोंडा को वापस की गयी थी। उसके द्वारा दिया गया क्वेरी रिपोर्ट प्र.पी.—05 है। इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस बात से इंकार किया कि क्वेरी हेतु पेश किये गये वस्तुओ को सीलबंद अवस्था में पेश नहीं किया गया था। प्रकरण में मृतक के कपड़ो में मानव रक्त होने या न होने के संबंध में रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट भी संलग्न है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक के शर्ट को ''ए'' से एवं लूंगी को ''बी'' से चिन्हित किया गया है और ए एवं बी पर ''ओ'' समूह की रक्त होने की पुष्टि की गयी है, परंतु अभियोजन की ओर से प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य नहीं लाये गये है कि मृतक का रक्त समूह भी ''ओ'' था। अतः स्पष्ट नहीं है कि मृतक के कपड़ों में पाये गये रक्त किसके हैं। प्रकरण में अभियोजन कहानी एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, साक्षी क्रमांक 02 के अनुसार मृतक को टंगिया से उसके सिर में मारने का कथन किया है, परंतु विवेचक द्वारा उक्त प्रकार का कोई हथियार की जप्ती कर रासायनिक परीक्षण नहीं कराया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि मृतक को किसी कठोर व धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गयी है। इस प्रकरण में एकमात्र महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, साक्षी क्रमांक 02 हूंगा कुंजाम अभियोजन कहानी के अनुसार है, परंतु इस साक्षी ने मुख्य परीक्षण की कंडिका 06 में स्पष्टतः कथन किया है कि मृतक भीमा कुंजाम को किन लोगों ने मारा है वह, उन्हें नहीं जानता है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त डोर्रा उर्फ हुर्रा कुंजाम के

विरूद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने के लिए विवेचक, चिकित्सक एवं पटवारी के अतिरिक्त अभियोजन की ओर से प्रस्तुत शेष सभी साक्षियों के कथनों में अभियुक्त द्वारा भीमा कुंजाम को कोयकीपारा व महराकरका के बीच जंगल में कुल्हाड़ी से मारने के संबधं में कोई तथ्य नहीं आये हैं। इस तरह भीमा कुंजाम की मृत्यु हुई है और वह मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की है, परंतु भीमा कुंजाम की हत्या इस आरोपी डोर्रा उर्फ हुर्रा कुंजाम के द्वारा की गयी है, इस बाबत् प्रत्यक्ष या अन्य कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं है, साक्ष्य की कोई भी कड़ी मृतक की हत्या में इस आरोपी की ओर ईशारा नहीं करती है। अतः उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण से अभियुक्त डोर्रा उर्फ हुर्रा कुंजाम के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं पाये जाने पर उसे धारा– 302 भा0द0सं0 एवं धारा 25, 27 आयुध अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

20. अभियुक्त धारा 437 ए दं0प्र0सं0 के अंतर्गत जमानत प्रस्तुत नहीं करते हुए आगामी 06 माह तक अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देश के पालन हेतु मुचलका निष्पादित किया है।

21. अभियुक्त डोर्रा उर्फ हुर्रा कुंजाम दिनांक 29.08.2018 से दिनांक 11.11.2019 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। अतः अभियुक्त का धारा 428 द.प्र. सं. के अंतर्गत अभिरक्षा प्रमाण पत्र तैयार किया जाये।

22. प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण फरार हैं इसलिए जप्तशुदा संपत्ति के संबधं में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

23. प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण फरार हैं इसलिए प्रकरण को अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जावे, इसे नष्ट ना किया जावे।

24. निर्णय की सत्यप्रति जिला दण्डाधिकारी दंतेवाड़ा एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक दंतेवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

निर्णय घोषित।

स्थानः– दंतेवाड़ा।
दिनांक–11.11.2019.

सही/–
(राजेन्द्र प्रधान)
सत्र न्यायाधीश
दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा(छ.ग.)